



लेखा कार्यालय
भा.वा.अनु.एव शि.परि
डायरी संख्या...२५७५
दिनांक...१५-१-२५



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION
(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An Autonomous Body under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India)
पो० ओ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून -248 006 (उत्तराखण्ड)
P.O. New Forest, Dehradun- 248 006 (Uttarakhand)

File No: 11-19/PHS/2024-ICFRE

Dated: 13 January 2025

अधिसूचना

विषय: सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सा संगठनों को भा०वा०अनु०शि०प के लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् से सूचीबद्धता के सम्बन्ध में।

सीजीएचएस और एचसीओ के मध्य हस्ताक्षरित हुए संस्था के बहिर्नियम (MOA) के पैरा 3(h) में उल्लेखित प्राधान्य तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भा०वा०अनु०शि०प० को दी गई मान्यता जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 2-14/2011-FE, दिनांक 01.04.2015 द्वारा परिषद् को सूचित किया गया, के परिपेक्ष में भा०वा०अनु० एवं शि०प० के सक्षम प्राधिकारी, की स्वीकृति से **Dr Gagan Nakra, (Nakra Family Homeopathic Clinic, 303, Mohit Nagar, Maharani Bagh Road, Dehradun Uttarakhand)** को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् से सूचीबद्ध किया जाता है। जिसके अंतर्गत भा०वा०अनु०शि०प०, देहरादून एवं इसके अन्य सभी संस्थानों के पेशनमेण्डो और सेवारत कर्मचारियों को सीजीएचएस के तहत लागू दरों/पैकेज दरों के अनुसार चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अधिसूचना सं० 11-19/PHS/2024-ICFRE दिनांक 05.07.2024 के क्रम में यह सूचीबद्धता दिनांक 30-09-2025 तक जारी रहेगी।

भा०वा०अनु०शि०प० के लाभार्थियों (सेवारत कर्मचारियों/पेशनरों) पर कौशलेश सुविधाएं लागू नहीं हैं।

नरेन्द्र 13-1-25
(नरेन्द्र कुमार श्रृंगी)
अवर सचिव,
भा०वा०अनु०शि०प०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. Dr Gagan Nakra, (Nakra Family Homeopathic Clinic), 303, Mohit Nagar, Maharani Bagh Road, Dehradun, Uttarakhand.
2. भा०वा०अनु०शि०प० के अंतर्गत सभी संस्थानों के निदेशक को।
3. उच्च महानिदेशक (प्रशासन), भा०वा०अनु०शि०प०/सचिव, भा०वा०अनु०शि०प०।, न.०.०. १८१२६
4. प्र.सू. आई०टी०, भा०वा०अनु०शि०प० (भा०वा०अनु०शि०प० की वेबसाइट में अधिसूचना अपलोड करने के लिए);
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल, देहरादून।
6. सचिव काइल।